न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या 05/2021
जीसीएमएस नं. 2021/62

प्रार्थीपक्ष :-		अप्रार्थी :-
थानाधिकारी, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाड़ा।	बनाम	श्री देवीलाल पिता लालू उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खजुरी भाग–प्रथम, तहसील छोटी सरवन

उपस्थित

थानाधिकारी पुलिस थाना दानपुर प्रवर्तन अधिकारी–विभागीय प्रतिनिधि	श्री इशरत खान –अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (ए)

दिनांक :– 19.01.2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना दानपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि श्री पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा ग्राम पंचायत खजूरी भाग–प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार देवीलाल/लालू द्वारा 110.78 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर संख्या 0046 दिनांक 01.03.2020 दर्ज करवायी गयी थी। इस संबध में पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में डीलर से 42 क्वि. गेहूँ बरामद किए गए है। जो देवीलाल/लालू के ग्राम भमरियापाड़ा में स्थित मकान के अन्दर पूर्व दिशा में बने कमरे से गेहूँ से भरे कट्टे पाए गए जिनमें 40 कट्टो में 24 क्वि. गेहूँ एव ग्राम भमरीयापाडा स्थित पुराने मकान में [illegible] क्वि. गेहु पाया गया। उक्त 70 कट्टों में भंडारित 42 क्वि. गे[illegible] के मालखाने में रखवाया गया है। श्री देवीलाल/लालू [illegible] 26.08.202[illegible]लय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा में प्रस्तुत की गयी है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–A में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 70 कट्टों में 42 क्वि राजसात करने के आदेश जारी करावे। साथ ही उक्त गेहूँ शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तु है। इस कारण इनका अंतरिम निस्तारण करने के निर्देश प्रदान करावें।

इस पर दिनांक 09–12–2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गए।

दिनांक 28–12–2021 को अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री इशरत खान द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया।

दिनांक 10–01–2022 को अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी को झुठा फसाया गया राशन के गेहुँ वितरण की डिलर शीप प्रार्थी विपक्षी के दी गई थी। उस अवधि मे प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से रेकार्ड का संधारण किया गया है एंव उसके द्वारा गेहू का भण्डार भी सामान्य क्रम में रखा गया था कुछ समय पश्चात् डिलर शीप इस क्षैत्र के किसी अन्य व्यक्ति को दे दिये जाने के कारण कुछ माल को नये डिलर को सिपूर्द कर दिया था एंव कुछ माल अप्रार्थी के आधिपत्य में था जो नवीन डिलर को दिया जाना था। प्रकरण पुराना है एव माल को उचित रूप से गोदाम में रखा गया परन्तु प्राकृतिक कारणों से वह चुहे वगैरह जानवर के कारण कुछ माल खराब हो गया जिस कारण से रेकार्ड व स्टोक में कुछ अन्तर आया है। यह अन्तर स्वभाविक है किसी भी प्रकार से कोई आपराधिक भाव या दुर्भावना नही है। गेहू सरकारी है एंव उनका आवंटन राशन कार्ड धारीयों मे होना था प्रकरण के गुणावगुण व निस्तारण आपराधिक न्यायालय में किया जाना है। गेहू का यदि कोई निस्तारण किया जाता है तो उसके मूल्य को सरंक्षित किया जाना न्यायहित में आवश्यक होगा।

दिनांक 19.01.2022 को उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि) एवं थानाधिकारी दानपुर ने कथन किया कि श्री पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद का[illegible]वाडा द्वारा ग्राम पंचायत खजूरी भाग–प्रथम के उचित मूल्य दुका[illegible]देवीलाल / लाल[illegible] 110.78 क्वि. गेहूँ का गबन एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

दुरूपयोग करने का कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर संख्या 0046 दिनांक 01.03.2020 दर्ज करवायी गयी थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में डीलर से 42 क्वि. गेहूँ बरामद किए गए है। उक्त 70 कट्टों में भंडारित 42 क्वि. गेहूँ बरामद कर पुलिस थाना दानपुर के मालखाने में रखवाया गया है। श्री देवीलाल/लालू के विरूद्व चार्जशीट संख्या 93 दिनांक 26.08.2021 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा में प्रस्तुत की गयी है। अतः उक्त 70 कट्टों में 42 क्वि. राजसात करने के आदेश जारी करावे।

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा बहस प्रस्तुत की गई। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को झुठा फसाया गया राशन के गेहुं वितरण की डिलर शीप प्रार्थी विपक्षी को दी गई थी। उस अवधि में प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से रेकार्ड का सधारण किया गया है एंव उसके द्वारा गेहू का भण्डार भी सामान्य क्रम में रखा गया था कुछ समय पश्चात् डिलर शीप इस क्षैत्र की किसी अन्य व्यक्ति को दे दिये जाने के कारण कुछ माल को नये डिलर को सपुर्द कर दिया था एंव कुछ माल अप्रार्थी के आधिपत्य में था जो नवीन डिलर को दिया जाना था। प्रकरण पुराना है एंव माल को उचित रूप से गोदाम में रखा गया परन्तु प्राकृतिक कारणों व चुहे वगैरह जानवर के कारण कुछ माल खराब हो गया जिस कारण से रेकार्ड व स्टोक में कुछ अन्तर आया है। यह अन्तर स्वभाविक है किसी भी प्रकार से कोई आपराधिक भाव या दुर्भावना नही है। गेहू सरकारी है एंव उनका आवंटन राशन कार्ड धारीयों मे होना था प्रकरण के गुणावगूण व निस्तारण आपराधिक न्यायालय में किया जाना है। गेहू का यदि कोई निस्तारण किया जाता है तो उसके मूल्य को सरंक्षित किया जाना न्यायहित में आवश्यक होगा।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गम्भीर अनियमितता के कारण 110.78 क्वि गेहूं कालाबाजारी करना प्रतीत होने पर प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई। पुलिस के कथन अनुसार दौराने अनुसंधान डीलर से उसके घर से 42 क्विं. गेहूं जब्त किये गये हैं। जब्त शुदा गेहूं डीलर को वापस सुपुर्द करने के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी कथन नहीं

जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करते हुए गेहूं का निस्तारण किए जाने और उसके मुल्य को संरक्षित रखने हेतु विपक्षी की ओर से निवेदन किया गया है।

अतः थानाधिकारी पुलिस थाना दानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा 70 कट्टो में 42 क्विं. गेहूं को राजसात करने के आदेश दिए जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तशुदा गेहूं का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना दानपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:57:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner